रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2018/अग्रहायण 27, 1940
No. 515] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2018/AGRAHAYANA 27, 1940

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

सं. **12-15/2012-के०हो०प०(पार्ट)**.—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वॉं) की धारा 33 के खण्ड (ञ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से एतद् द्वारा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात :–

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभ.—**(1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) संशोधन विनियम, 2018 होगा ।

(2) ये भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (i) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 में –विनियम 9 के पश्चात, निम्न विनियम को जोड़ा जाएगा अर्थातः–

''9अ उपस्थितिः–शिक्षण कर्मचारी वृंद, गैर शिक्षण कर्मचारी वृंद, अस्पताल कर्मचारी वृंद तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की उपस्थिति, आधार आधारित भौगोलिक स्थान सक्षम बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली द्वारा होगी, जिसे केंद्रीय सरकार तथा केंद्रीय परिषद् को सत्यापन हेतु सुलभ कराया जाएगा।

(ii) विनियम 10 में, उप विनियम (5) को हटाया जाएगा।

डॉ. आषिस दत्ता, रजिस्ट्रार–सह–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./436/18]

नोटः मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–III, खण्ड–4 में संख्या 12–10/2000–के.हो.प.(पार्ट–III) दिनॉक 8 मार्च, 2013 को प्रकाशित किया गया था।

THE CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

No. 12-15/2012-CCH(Pt.).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments in the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations 2013, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) amendment Regulations 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (i) In the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013,-after regulation 9, the following regulation shall be inserted namely:-

"9A Attendance:- The attendance shall be through Aadhar Based Go location enabled Biometric Attendance system for teaching staff, non-teaching staff, hospital staff and post graduate students, which shall be made accessible to the Central Government and Central Council for verification''.

(ii) in regulation 10, the sub-regulation (5), shall be omitted.

Dr. ASHIS DATTA, Registrar-cum- Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./436/18]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification no. 12-10/2000-CCH(Pt.III) dated 8th March, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.12.20 16:24:54 +05'30'